COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

138

न्यायालय म.प्र.राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर मध्यप्रदेश

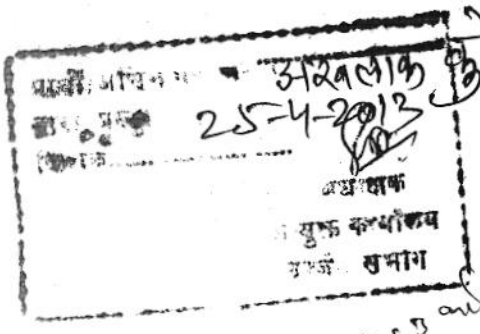

प्रकरण क्रमांकः- /१३ निगरानी R - 2111 - I /13

०१. गुणवन्ताबाई विधवा गोविन्दराव
०२. गीताबाई पिता स्व० गोविन्दराव मृत द्वारा वारिसान रेखा पति सोनुराव निवासीगण कानड़ तहसील आगर जिला शाजापुर (म०प्र०)

.........आवेदकगण

विरूद्ध

०१. दामोदर पिता बद्रीप्रशाद
०२. दुर्गाशंकर पिता बद्रीप्रशाद
०३. शिवनारायण पिता बद्रीप्रशाद निवासीगण कानड़ जिला शाजापुर
०४. मध्यप्रदेश शासन द्वारा पटवारी ग्राम कानड़ जिला शाजापुर (म०प्र०)

..............अनावेदकगण

25-4-2013

3/7
25/4/2013

पुनरीक्षण प्रार्थना-पत्र अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय जिला शाजापुर के प्रकरण क्रमांक २६/निगरानी/१२.१३ में पारित आदेश दिनांक २७.०२.१३ से असन्तुष्ट एवं दुखित होकर निम्न कारणों के आधार पर पुनरीक्षण अन्दर अवधि प्रस्तुत करती है।

पुनरीक्षण प्रार्थना-पत्र अर्न्तगत धारा ५० म.प्र.भू.रा.संहिता

०१. यह कि अधीनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश जैर निगरानी विधि विधान एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

०२. यह कि अधीनस्थ योग्य न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों का समुचित रूप से विचार किये बिना जैर निगरानी आदेश पारित करने में वैधानिक त्रुटि की हे।

०३. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदकगण द्वारा उठाए गए बिन्दुओं पर वैधानिक द्वष्टिकोण से तथा विधि के प्रावधान अनुसार विचार किये बिना जो आदेश दिया है वह निरस्त किये जाने योग्य है।

०४. यह कि अनावेदकगण कथा कथित बिक्रय पत्र दिनांक ०४.०८.१९७३ के आधार पर नामान्तरण चाहते है जबकि उसके पश्चात आवेदिका के पति द्वारा प्रथम अपील न्यायालय अपर जिला जज महोदय शाजापुर के समक्ष चली थी तब भी पक्षकार बनाने बाबत् कोई आवेदन नहीं दिया गया एवं

XIX(a)-BR(H)-11

(25)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2111-एक/13 **जिला** - शाजापुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ए.आर. यादव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	